ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION. NO. 31
TO BE ANSWERED ON 06.02.2025

Combating climate change

31* SMT. JEBI MATHER HISHAM:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether Government has received assistance from any international agencies in the efforts to combat climate change, if so, the details of all such agencies and the amount received from each of these agencies;
(b) whether Government has evaluated the loss suffered by farmers on account of climate change, if so, the details thereof; and
(c) the measures taken to combat climate change and to reduce the impact of climate change?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

***

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY OF PARA (A) TO (C) OF STARRED QUESTION NO. 31 TO BE ANSWERED ON 06.02.2025 IN RAJYA SABHA RAISED BY SMT. JEBI MATHER HISHAM REGARDING "COMBATING CLIMATE CHANGE"

(a) India's climate actions so far have been largely financed through domestic resources. However, India has accessed financial resources for some climate projects through the Financial Mechanism of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The details being : USD 803.9 mn from the Green Climate Fund (GCF), USD 346.52 mn from Global Environment Facility-GEF (for Climate Change focal area) and USD 16.86 mn from the multilateral Adaptation Fund respectively.

(b) & (c) As per the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, climate change affects several crops, natural resources, livestock and fisheries. It is projected that in the absence of adaptation measures, the yields of crops may get adversely impacted. Several measures have been taken including the National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) to deal with the impacts of climate change on agriculture.

The Union Budget 2020-21 stated that India's climate action would be executed in various sectors by the Departments/Ministries concerned through the normal budgeting process. The successive Union Budgets have scaled up the efforts towards mobilizing resources for climate action. The Union Budget 2023-24 places greening the economy as one of the top seven priorities. India's climate actions across various sectors are embedded in various programmes and schemes. The National Action Plan on Climate Change (NAPCC) provides the overarching framework for climate actions and comprises missions in specific areas of solar energy, enhanced energy efficiency, sustainable habitat, water, sustaining Himalayan ecosystems, Green India, sustainable agriculture, human health and strategic knowledge for climate change. In addition, there are several initiatives taken by Government of India to combat and reduce the impact of climate change like the Green Credit Programme, Ek Ped Maa ke naam, Mission LiFE, green hydrogen mission among others. India also has been diligently working towards adaptation and resilience in mission mode. Several policies and measures have been put in place across key economic sectors, keeping in mind the wide scope of adaptation activities. The Union Budget 2025-26 has announced various measures that promote enhancing resilience and reducing vulnerabilities to climate change including for the agriculture & allied sectors. The major measures include: PM *Dhan- Dhaanya Krishi Yojana*, National Mission on High Yielding Seeds, six-year Mission for *Aatmanirbharta* in Pulses, comprehensive programme for vegetables & fruits, establishing a framework for sustainable harnessing of fisheries Framework in Exclusive Economic Zones and High seas etc. These measures are adaptation strategies in the long-run.

Further, India has submitted its Long-Term Low-Carbon Development Strategy to the UNFCCC in November 2022, which articulated India's vision of rapid growth and economic transformation, while protecting the environment and pursuing low-carbon strategies for development as per national circumstances.

*****

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *31

06.02.2025 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन से निपटना

***31. श्रीमती जेबी माथेर हीशम :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त हुई है, यदि हां, तो ऐसी सभी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक एजेंसी से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जलवायु परिवर्तन से निपटने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“जलवायु परिवर्तन से निपटना” के संबंध में श्रीमती जेवी माथेर हीशम द्वारा दिनांक 06.02.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *31 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): अब तक भारत के जलवायु संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण मुख्यत: घरेलू संसाधनों के माध्यम से किया गया है। तथापि, भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के वित्तीय तंत्र के माध्यम से कुछ जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन प्राप्त किये है। जिसका विवरण क्रमशः इस प्रकार हैं: ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) से 803.9 मिलियन अमरीकी डालर, वैश्विक पर्यावरण केंद्र- जीईएफ (जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रमुख क्षेत्र के लिए) से 346.52 मिलियन अमरीकी डालर और बहुपक्षीय अनुकूलन कोष से 16.86 मिलियन अमरीकी डालर।

(ख) और (ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, जलवायु परिवर्तन अनेक फसलों, प्राकृतिक संसाधनों, पशुधन और मत्स्यपालन को प्रभावित करता है। ऐसा अनुमान है कि अनुकूलन उपायों को नहीं अपनाए जाने से फसलों की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) सहित कई उपाय किए गए हैं।

केन्द्रीय बजट 2020-21 में उल्लेख किया गया है कि भारत के जलवायु संबंधी कार्यकलापों को संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा सामान्य बजट प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा। उत्तरोत्तर केन्द्रीय बजटों में जलवायु संबंधी कार्यकलापों के लिए संसाधन जुटाने की दिशा में प्रयासों को बढ़ाया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में अर्थव्यवस्था को पर्यावरण हितैषी बनाना शीर्ष सात प्राथमिकताओं में से एक है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत के जलवायु संबंधी कार्यकलाप विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में शामिल किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जलवायु संबंधी कार्यकलापों के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है और इसमें सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा बचत, संधारणीय पर्यावास, जल, संधारणीय हिमालयी पारि-तंत्र, हरित भारत, सतत कृषि, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में संचालित मिशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और उसे कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं, जैसे ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, एक पेड़ मां के नाम, मिशन ‘लाइफ’, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एवं अन्य। भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और सहनक्षमता विकसित करने की दिशा में भी मिशन मोड में निरंतर काम कर रहा है। अनुकूलन गतिविधियों के व्यापक दायरे को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में कई नीतियां और उपाय किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में ऐसे विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों सहित जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने तथा संवेदनशीलताओं में कमी लाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं। प्रमुख उपायों में ये शामिल हैं:- प्रधानमंत्री *धन-धान्य कृषि योजना*, अधिक उपज वाले बीजों से संबंधित राष्ट्रीय मिशन, दलहन फसलों के क्षेत्र में *आत्मनिर्भर भारत* के लिए छः-वर्षीय मिशन, सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और गहरे समुद्रों में मत्स्यपालन फ्रेमवर्क को संधारणीय तरीके से कार्यान्वित करने हेतु एक कार्यढांचा स्थापित करना आदि। ये उपाय अंतत: अनुकूलन संबंधी कार्यनीतियों के रूप में कार्यान्वित किए जाएंगे।

इसके अलावा, भारत ने नवंबर 2022 में यूएनएफसीसीसी को अपनी दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास कार्यनीति प्रस्तुत की है, जिसमें पर्यावरण की रक्षा करते हुए और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार विकास के लिये निम्न-कार्बन उत्सर्जन संबंधी कार्यनीतियों का अनुसरण करते हुए भारत के तेजी से विकास और आर्थिक परिवर्तन के दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया है।

*****

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Sir, it is with deep sorrow that I wish to place it on record a tragic incident which happened a few days ago in Pancharakolly village in Wayanad. A 47 year old tribal lady was stalked and attacked by a man-eating tiger.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

And, there was widespread panic all over Wayanad and also Kerala. We are very concerned about the human-animal conflict that is constantly happening. It is just not tiger but also leopard, wild boar and wild elephants. So, it is a matter of grave concern for the people of Wayanad at large. Why is this happening? The climate impact is also there but exceptionally, what the Government is doing in this matter is of grave concern. In such circumstances, where man-animal conflict is becoming a day-to-day scenario in Western Ghats,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Sir, wild animals are being very cruel with people.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief in your question.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Let us be kind to them. Sir, let me ask my question. My question is: What steps is the Government taking to put barriers and defense mechanism that man-animal conflict do not happen?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: And also, when agriculture is being affected, whether the Government will provide compensation to farmers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, one question only.

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्या का जो प्रश्न था, वह क्लाइमेट चेंज को लेकर था, लेकिन उन्होंने अपने सप्लीमेंटरी प्रश्न का जो उत्तर पूछा है, वह एक दूसरा प्रश्न है, जो मैन-एनिमल कांफ्लिक्ट को लेकर है। महोदय, केरल में जो इंसिडेंट हुआ है, उसमें कॉम्पनसेशन के जो नॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। महोदय, जहाँ तक कार्रवाई करने की बात है, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सैक्शन 11 (1)(बी) में स्टेट के जो चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन हैं, उन्हें पूरे तरीके से पॉवर दी

गई है कि वे इस प्रकार के जानवर, जो हिंसक होकर हानि पहुँचा रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि इस संबंध में केरल सरकार संवेदनापूर्ण कार्रवाई करेगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Sir, within first 24 hours of becoming President of the United States, President Trump,

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ask your question.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Sir, this is very relevant to India. President Trump withdrew from the Paris Agreement which makes commitment to climate finance for developing countries. But, now, my question to the hon. Minister is: Whether the Government is assessing the impact of U.S. withdrawing from the Paris Agreement. I am asking because we are worried. On immigration policy of Mr. Trump, there is absolutely nothing happening from the Government of India. So, I would like to know whether the Government has taken any step on Paris Agreement.

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्या का जो पूरक प्रश्न है, वह मूल प्रश्न के साथ किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है। महोदय, दुनिया भर की जितनी भी मल्टीलेटरल संधियाँ या वार्ताएँ होती हैं, उन पर प्रत्येक देश का अपना पक्ष होता है और भारत की यह स्पष्ट रूप से मान्यता है कि वह पेरिस एग्रिमेंट में समाधान का पार्ट है, समस्या का नहीं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ritabrata Banerjee.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Sir, In June 2024, the World Bank approved US $1.5 billion loan to India for combating climate change. Over the last several months, the Indian rupee has been constantly falling against the US dollar and now it has breached the 87 rupee mark which is the lowest value of rupee in India's history. My supplementary question is this. Please tell us how the Government is planning for repayment of these foreign loans and the interest on them when the outstanding amount is rising due to falling rupee.

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य का यह पूरक प्रश्न मूल प्रश्न के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, this climate-induced heat wave is of a major concern. And, studies say that between 2013 and 2022, India reported more than 10,000 deaths due to heat wave or sun strokes. Sir, further, there are economic hardships for the poor. Sir, one international report suggests that the loss to households is more than 5 per cent of their annual income. However, the heat wave is not categorized as a natural disaster, so we cannot give relief to people. My question to the hon. Minister is this. Considering the importance of this issue, will you impress upon the other Ministries to ensure that heat wave and sun strokes are also part of the natural disaster?

श्री भूपेन्द्र यादव : यह सच है कि जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं, उन्हें विभिन्न मंत्रालयों के coordination के साथ किया जाता है। इस संबंध में नेशनल क्लाइमेट का एक एक्शन प्लान है। स्टेट लेवल के हिसाब से भी स्टेट एक्शन प्लान है, जिसे समय-समय पर बातचीत के द्वारा पूरा किया जाता है।

श्रीमती रंजीत रंजन: उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हिमालय की गोद में उत्तराखंड के चमोली जिले में शंकराचार्य द्वारा आठवीं-नौवीं सदी में स्थापित हाट गाँव एवं वहाँ स्थित बद्रीनाथ भगवान का विग्रह रूप लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसे एएसआई रिपोर्ट द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। गाँव वाले संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बन रही बांध परियोजना के लिए डंपिंग जोन बनाने हेतु छलपूर्वक अधिग्रहण किया गया है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हाट गाँव को गोद लेकर जो परम्परागत शैली है, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए जो डंपिंग जोन बनाया जा रहा है, उसे हटाया जाए और उसे गोद लिया जाए। आप लक्ष्मी नारायण मंदिर को सेफ करें, जो चार धाम यात्रा के तहत ही आता है।

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न है, वह एक particular प्रोजेक्ट के संबंध में है। हर प्रोजेक्ट में एक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। अगर कोई उल्लंघन हुआ है, तो माननीय सदस्या मेरे ध्यान में लाएं कि वे particularly किस प्रोजेक्ट के लिए कह रही हैं। वह मुझ से विचार-विमर्श करेंगी, प्रोजेक्ट ध्यान दिलाएंगी, तो यह एक विषय हो सकता है, लेकिन इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q.No.32.